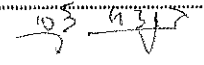


प्रथम नियुक्ति के समय आवेदन सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2018-19

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खेती	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह जिसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उस किस प्रकार आवक संपत्ति से संबंधित आय	उसके नाम तथा अवधि की गई हो तारीख और जिससे तथा आर्जन की अन्य किसी प्रकार से विशाल, भेंट या खरीद पट्टा, बंधक, आवक किया गया	गृह तथा अन्य भवन	यदि	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								16,720/-	30,00,000/-	12,50,000/-	17,50,000/-				

वहाँ नाम न हो काट दीजिए।
वहाँ नाम न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी मूल्य बतलाया जाए।
उसमें असफलता पड़े भी सम्पत्ति है
टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचार्य) नियम 1969 के नियम 18 (3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के पूर्व सदस्य से यह अधिलेख है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के प्रथम वर्ष वीथी-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके वर्गीकरण की तथा उसके द्वारा अवधि और अवधि में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवधि सम्पत्ति के बारे में है।

उत्पादक : 
नाम : 
पद : 31.12.2018-1